



2026:AHC:7766

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 180 वर्ष 2026

धरम पाल सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

सत्य मंगल यादव, शिव पूजन यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव पूजन यादव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का यह मामला है कि वह वर्ष 1987 में होमगार्ड के रूप में कार्यरत था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी जन्म तिथि 20.01.1969 है। हालांकि, सेवा अभिलेख में, यह 01.09.1965 को दिखाया गया था। रिट याचिकाकर्ता 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हो गया। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने जन्म तिथि में सुधार के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता को 2029 तक जारी रखने की प्रार्थना की गयी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि करियर के अंतिम चरण में और यहां तक कि वर्तमान मामले में भी, एक बार रिट याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद, रिट याचिकाकर्ता के लिए अपनी जन्म तिथि को सही नहीं करा सकता है। **हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम एस.एम. जाधव और अन्य (2001) 4 एससीसी 52** में रिपोर्ट किये गए मामले में एक निर्णय पर भरोसा किया गया है।

5. मैंने न्यायालय में किए गए प्रस्तुतियों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. तथ्य मुद्दे में नहीं हैं। यह इस मुद्दे में नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता वर्ष 1987 में होमगार्ड के रूप में कार्यरत था, वह 31.08.2025 को सेवानिवृत्त हो गया था। विवाद की जड़ यह है कि रिट याचिकाकर्ता की जन्म तिथि क्या है, चाहे वह 20.01.1969 हो या 01.09.1965 हो।

7. महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद, रिट याचिकाकर्ता ने सर्वप्रथम अपनी जन्म तिथि को सही करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जो विधि में स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि **हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (सुप्रा)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया था, जिसमें यह देखा गया है कि सुधार उचित अवधि के भीतर होना चाहिए और निश्चित रूप से करियर के अंतिम चरण में नहीं होना चाहिए।

8. रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

9. आज दायर किए गए अनुदेशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।